

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी०ए० केस सं०- 50 / 2020-21

मु० अरशद बनाम् रैयान, मौजा-ईटवा मिलिक

-: आदेश :-


आवेदक मु० अरशद, पे०-शेख वाहिद, मु० समशुल, पे०-मु० गफुर एवं मोरजिना खातुन, पति-इस्तेकार अंसारी, सभी साकिन- ईटवा मिलिक, थाना-ठाकुरगंगटी, अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा ने मौजा-ईटवा मिलिक में प्रधान नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।


दाखिल वाद के आलोक में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक-268/रा० दिनांक-25.06.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-ईटवा मिलिक थाना नं०-199 एक खास मौजा है। उक्त मौजा के खतियान एवं पंजी-॥ में किसी भी पूर्व ग्राम प्रधान का नाम दर्ज नहीं है।



उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन एवं अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकगण का आवेदन को खारिज की जाती है।

अतः वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


23.08.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।


23.08.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।


Seen by

8/9/22
Uttara Kar Karand
Achw.
20/9/22

23-08-22